बिहार सरकार,
गन्ना उद्योग विभाग

पत्रांक–02 / रेगु०–03–900–16 / 2021– पटना, दिनांक– जुलाई, 2025

प्रेषक,

अनिल कुमार झा, भा०प्र०से०
ईखायुक्त, बिहार

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

विषय : **मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी का पुनः परिचालन के निमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य मूलधन हेतु कुल आवंटित राशि मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये मात्र का अग्रिम निकासी की स्वीकृति के संबंध में।**

द्वारा : आंतरिक वित्तीय सलाहकार, गन्ना उद्योग विभाग।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय संकल्प संख्या–45 दिनांक–12.01.2024 के क्रम में मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी का पुनः परिचालन के निमित उस क्षेत्र के गन्ना कृषकों के पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाये ईख मूल्य मूलधन की कुल राशि मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये मात्र निकासी, व्यय एवं भुगतान की स्वीकृति हेतु स्वीकृत्यादेश संख्या–117 स्वी० / CC दिनांक–29.05.2025 द्वारा निर्गत किया गया है।

2. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या–117 स्वी० / CC दिनांक–29.05.2025 के आलोक में आवंटन आदेश संख्या– 06 / बजट दिनांक–26.06.2025 द्वारा राशि मो० 51,30,91,296.00 (इकावन करोड़ तीस लाख इकानवे हजार दौ सौ छियानबे) रूपये मात्र का आवंटन आदेश भी निर्गत किया गया है।

3. रीगा चीनी मिल से संबद्ध गन्ना कृषकों को पूर्ववर्ती पेराई सत्रों का बकाया ईख मूल्य का भुगतान हेतु CFMS 2.0 के माध्यम से पेयी आईडी बनाने में हो रही कठिनाई के संबंध में ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर द्वारा पत्रांक–172 दिनांक–14.07.2025 के माध्यम से विभाग को पत्राचार किया गया है। CFMS 2.0 के माध्यम से लगभग 16564 किसानों को भुगतान करने में काफी कठिनाई होगी तथा इसमें अतिरिक्त समय लग सकता है।

4. रीगा चीनी मिल से संबद्ध गन्ना कृषकों को बकायों का शीघ्र ईख मूल्य भुगतान करने के निमित्त विभागीय आवंटन आदेश संख्या–06 / बजट दिनांक–26.06.2025 द्वारा आवंटित राशि को वित्त विभाग, बिहार, पटना के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–2890 दिनांक–20.03.2023 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में आवंटित राशि में से वर्तमान में कुल उपलब्ध राशि की अग्रिम निकासी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. स्वीकृत राशि के अधीन आवश्यकतानुसार ही अग्रिम राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक–2561 वि (2) दिनांक–17.04.1998 एवं पत्रांक–2890 दिनांक–20.03.2023 के आलोक में की जायेगी तथा प्रपत्र में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6. भुगतान के पश्चात् भुगतान किये गये प्रमाण के साथ किसानों की सूची डी०सी० विपत्र के रूप में यथाशीघ्र समर्पित किया जाएगा। साथ ही जिस मद के विरूद्ध अग्रिम निकासी की जाएगी, उसी मद अंतर्गत व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में अग्रिम के रूप में निकासी की गई राशि का उपयोग किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं किया जाएगा।

कृ०पृ०उ०

7. उक्त अग्रिम निकासी के प्रस्ताव पर संचिका सं०–02 / रेगु०–03–900–16 / 2021के पृष्ठ संख्या–105 / टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

8. उक्त प्रस्ताव पर संचिका सं०–02 / रेगु०–03–900–16 / 2021 के पृष्ठ संख्या–104 / टि० पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

9. वित्त विभागीय पत्रांक–7355 / वि० (2) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन
ह० / –
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–03–900–16 / 2021– पटना, दिनांक– जुलाई, 2025

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–03–900–16 / 2021– पटना, दिनांक– जुलाई, 2025

प्रतिलिपि–जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / शिवहर / पूर्वी चम्पारण / कोषागार पदाधिकारी, सीतामढ़ी / सहायक ईखायुक्त, उत्तर बिहार, मुजफ्फपुर / ईख पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / महाप्रबंधक, मेसर्स रीगा सुगर कम्पनी लि०, रीगा, सीतामढ़ी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० / –
ईखायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–02 / रेगु०–03–900–16 / 2021– 220 ईख/cc पटना, दिनांक– 15 जुलाई, 2025

प्रतिलिपि– वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार / उप सचिव, गन्ना उद्योग विभाग / संयुक्त निदेशक, ईख विकास / संयुक्त ईखायुक्त, बिहार, पटना / सहायक ईखायुक्त, मुख्यालय / विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, गन्ना उद्योग विभाग / विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार / रेगुलेटरी शाखा / बजट शाखा / लेखा शाखा, गन्ना उद्योग विभाग, बिहार, पटना / सभी विशेष ईख पदाधिकारी एवं ईख पदाधिकारी / सचिव, बिहार सुगर मिल्स एसोसियेशन (BSMA), पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई० टी० प्रबंधक, गन्ना उद्योग विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/7/2025
ईखायुक्त, बिहार।